TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3 (ii)

dl-12-2-1977 dl/p-556

GOVERNMENT OF INDIA
(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(GRIH MANTRALAYA)

New Delhi, the 29th January, 1977.

NOTIFICATION

S.O. 470. In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Chief Commissioner of the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers of the Government under section 6, and sub-section (1) of section 46, of the Andaman and Nicobar Islands Land Revenue and Land Reforms Regulation, 1966 (2 of 1966).

(U-11030/7/76-UTL)

(H.C. BAKHSHI)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

To

The General Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
RING ROAD, NEW DELHI.

****

भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी, 1977.

अधिसूचना

का० आ० राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड(1) के अनुसरण में निदेश करते हैं कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के आयुक्त, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह भू-राजस्व और भूमि सुधार विनियम, 1966 (1966 का 2) के धारा 6 और धारा 46 के उप धारा (1) के अधीन सरकार के अधिकारों का प्रयोग भी करेंगे।

(यू० 11030।7।76-यू टी एल)

हरिश चन्द्र बख्शी

(हरीश चन्द्र बख्शी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली ।